कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद–देवरिया।

पत्रसंख्या–एफएस/निरीक्षण(स्कूल)/2022 दिनांक–मार्च, 23 2022

सेवा मे,

स्वामी/प्रबंधक
पी0 एन0 एकेडमी
चटनी गडहीं, उमानगर, जनपद–देवरिया।

विषयः पी0 एन0 एकेडमी चटनी गडहीं उमानगर जनपद–देवरिया के स्कूल/भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ का अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण कराकर अग्निशमन सरुक्षा प्रमाण–पत्र (नवीनीकरण) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे–

सन्दर्भः–आपके पत्र संख्या–शून्य **दिनांकः14.03.2022**

कृपया उपरोक्त विषयक के सन्दर्भ मे पी0 एन0 एकेडमी चटनी गडहीं उमानगर जनपद–देवरिया में अग्नि/जीवरक्षा सुरक्षा की दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया जिसका विवरण निम्नवत हैः–

1. पहुँच मार्ग–उक्त स्कूल भवन तक अग्निशमन के वाहन आवागमन करते हुए अग्निशमन कार्य कर सकते है।
2. स्वचालित स्प्रिंकलर पद्वति वांछित नही है।
3. अग्निशमन कार्य हेतु पानी की स्थायी भूमिगत/टेरिस टैंक तथा टेरिस पम्प स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
4. फर्स्ट एण्ड होजरील प्रत्येक तल पर जो टेरिस टैंक से डाउन कमर से जुडा हुआ स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
5. भारतीय मानक संस्थान की प्रमाणीकरण चिन्हयुक्त प्राथमिक अग्निशामक उपकरण स्थापित किया गया है, जिसका टेस्टिंग फीस रू 60/– भारतीय स्टेट बैंक राघवनगर देवरिया मे दिनांकः22.03.2022 को जमा कराया गया जो कार्यशील दशा मे है।
6. कम्पार्टमेशन वांछित नही है।
7. स्वचालित अग्निसूचक और चेतावनी पद्वति वांछित नही है।
8. निकास मार्ग के प्रदिप्त संकेत चिन्ह पाये गये।
9. विद्युत आपूर्ति के वैकल्पिक श्रोत के अन्तर्गत जनरेटर सेट लगाया पाया गया।
10. सम्पूर्ण स्कूल/भवन में पी0ए0 सिस्टम स्थापित किया गया है, जो कार्यशील दशा में है।
11. निकास की आवश्यकताए एवं अग्नि से बचाव के मार्ग की व्यवस्था संतोषजनक पायी।
12. भवन मे 02 अदद स्टेयर केस स्थापित किया गया है।
13. विद्यालय मे उपस्थित कर्मचारियो को प्राथमिक अग्निशमन उपकरण संचालित करने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

अतः उपरोक्त अग्निशमन व्यवस्थाओ को सदैव कार्यशील बनाये रखने तथा एन.बी.सी. 2005 तथा मानक संख्याः 2190:1992 तथा उ0 प्र0 अग्निनिवारण व अग्निसुरक्षा नियमावली–2005 के नियम–4 मे दिये गये निर्देशो का पालन करना तथा अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराकर प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित प्रबन्धक/व्यवस्थापक का उत्तरदायित्व होगा की समय से नवीनीकरण कराने की शर्त पर अग्निशमन/जीवरक्षा व्यवस्था का अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण–पत्र (नवीनीकरण) जारी किया जाता है, जो निर्गत तिथि से *तीन (03)* वर्ष तक वैद्य माना जायेगा। अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील होने की दशा मे यह प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(अजय कुमार चौबे) 23.3.22
प्रभारी अग्निशमन केन्द्र
जनपद देवरिया।